



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2885]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 30, 2019/भाद्र 8, 1941

No. 2885]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 30, 2019/BHADRA 8, 1941

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अगस्त, 2019

का. आ. 3152(ब).—प्रारूप पुनः अधिसूचना भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 6034 (अ), तारीख 30 नवम्बर, 2018 द्वारा भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित की गई थी जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनको उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना में अन्तर्विष्ट राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, साठ दिन की अवधि के भीतर, आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त प्रारूप अधिसूचना में अन्तर्विष्ट राजपत्र की प्रतियां जनता को तारीख 5 दिसम्बर, 2018 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और, पूर्वोक्त प्रारूप अधिसूचना के उत्तर में व्यक्तियों और पणधारियों से कोई भी आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए;

और, लाख बहोसी पक्षी अभयारण्य, उत्तर प्रदेश राज्य में 80.23 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और जो कन्नौज के जिला मुख्यालय से लगभग 38 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है जिसमें वनभूमि, ग्राम समाज भूमि, निजी भूमि और अन्य सरकारी भूमि सम्मिलित है और जिसके अंतर्गत अभयारण्य में दो जलाशय अर्थात् लाख और बहोसी हैं जो अलग से लगभग 6 किलोमीटर पर स्थित हैं;

और, पूर्वोक्त अभयारण्य प्रवासी और आवासी पक्षियों की बृहत् विविधता के वास के लिए जाना जाता है और यहां जीवजंतु प्रजातियों का ग्राउंड शीव (*सुकुस मुरनिउस*), बनबिलार (*फेलिस चाउस*), फिशिंग कैट (*परिओनाइलुरुस विवेरिनुस*), लोमड़ी (*वुल्स बेंगलेंसिस*), सामान्य पीला चमगादड़ (*स्कोटोफिलस हंअथि*), नोकटुले बेट (*नयकटलुस नोकटुला*), श्री स्ट्रीफड पलम गिलहरी (*फुनाम्बुलुस पल्मारूम*), ब्लू बुल्ल (*बोसेलाफुस टरागोकेमेलुस*), साइक्लोप (*साइक्लोप स्प.*), साइपरिस (*कुरप्सि स्प.*), परायइंग-मंटिस (*मंटिस स्प.*), गनात (*सिमुलियम इक्यूइतुस*), वाटर सर्कोपियन (*पनोरपा कुम्मुनिस*), दुंग बैटले (*मेलिओकोक्परिस स्प.*), लार्ज कर्पेंटर (*मेगचिले केनटुंकुलारिस*), लेस्सेर जेबरा (*पी. मकेरेउस इंडिकुस*), वेइनेड जय (*गराफिउम वेतयकलेस चिरोन*), कलासेय बाघ (*परांटिका अगलिया मेलानोइडेस*), बाघ ब्राउन (*ओरिनोमेदेमरिस*), तेंदुआ (*नेउरोसिओमा दाउबलेदयि दोउबलेदयि*), सलुग (*लोमुक्स स्प.*), इंडियन शैग

(फलाकरोकोरक्स फुस्किकोल्लिस), पर्पल हेरोन (अरदेयिया पुरपुरिया), लिटिल बिट्टेरन (लक्ओवरयचुस मितुटुस), ब्लैक इबिस (फलेगदीस फल्किनेल्लुस फल्किनेल्लुस), स्पोट्टेड बिल्लेड बत्तख (अनास पोइकिलोरयंचा), इयरसिओन विजियन (अबस पेनेलोप), कस्टेड गोस्त्वक (अक्कापिटर टरिविगटुस), ब्लैक फ्रैकोलिन (फरांकोलिनस फरांकोलिनस), वाटर रेल (रल्लुस अक्क्यूटिकुस), लिट्टल रिंजेड पलोवेर (चरादरिउस दुबिउस), वूड स्त्रिपे (गल्लिनगो नेमोरिकोला), रिवर टेर्न (स्टेरना अयरांटिया), ग्रेटर कोउकल (केंटरोपुस सिनेंसिस), एशियन पलम स्विफ्ट (चयप्सिउरुस बेलासिंसिस), गीन बी-इटेर (मेरोपस ओरिंटलिस), हौपोइ (उपुपा इपोपस), लौंग टेल्ड शरिक (लनिउस स्चच), बर विजियन फ्लार्डकेचर (हेमिपुस पिकटुस), ग्रीन मुनिया (अमांदवा फोरमोसा), ओलिव बेक्केड पिपिट (अंधुस रूफुलिस), स्टिरिअटेड बब्बेलेरे (तुरदोइदेस इअरलेइ), थिक बिल्लेड फ्लावर पेस्केर (डिकेइउम अगिल), बाया वेअवेर (प्लोकउस फिल्लिप्पिनस), माल्लारद (अनास प्लेटयरहनचा), वाइट रुमपैड शम्पा (कप्सीचस सौउलारिस), आदि का वास है;

और, लाख बहोसी पक्षी अभयारण्य में वनस्पति प्रजातियों की विविधता का भी प्रतिनिधित्व है जिसमें आस्ट्रेलियन अकैशिया (अकैशिया अयरिकुलिफोरमिस), जंगल जलेबी (पिथेकेल्लोबिउम दुल्का), येल्लो कैशिया (कैशिया सिअमिया), पेरसाइं (मलिया अजादरच), खबर (फिकुस इंफेक्टोरिया), रैड कॉट्टन ट्री (मोम्बक्स केइबा), पेल्लोफोरूम (पेल्लोफोरूम फेरूगिनिया), सिस्सू (डालबेरगिया सिस्सू), बरिनागटोनिया (बरिनागटोरिया अकुटंगुला), जकरांदा (जकरांदा ओवलिफोलिया), मधुका (मधुका इंडिका), इम्बलिका (फयल्लांथुस इम्बलिका), वसका (अस्ट्रोडोडा वसिका), पंवार (केसिसअटोरा), कलोटरोपिक (कलोटरोपिस परोकेरा), कंटकरि (सोलनुम एक्थोकेरपुम), कोककले बर (एक्थिउम स्टरुमरिउम), लुफ्फा (लुफ्फा अकुटंगुला), नेण्डुनिया (मयमोसेपुदीका), पस्पलुम (पस्पलुम वीस्टिचुम), बर्ड कोरियंडर (मोल्लिंगो केरविहा), गोखरू (टरिबुलुमस टेरेसटरिस), रोरिंपा (नस्टुरटिउय इंडिकुम), चिरचिद्विय (सल्लोला वरयोस्मा), मक्खी (फयल्लांथुस रेटिकुलाटुस), सलविनिया (सलविनिया मोलिस्टा), स्पिरोदेला (स्पिरोदेला पोल्यरहीजा), जुस्सिअया (जुस्सिया रेपेंस), बिलाइटी आक (लपोमेया कोरनिया), सेस्वानिया (सेस्वानिया अकुलाते), स्किरपूस (स्किरपूस रोयलेल), आदि सम्मिलित हैं;

और, लाख बहोसी पक्षी अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएँ इस अधिसूचना के पैराग्राफ 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना और उक्त पारिस्थितिक संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गों के प्रचालन और प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् पर्यावरण अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्तर प्रदेश राज्य के जिला कन्नौज में लाख बहोसी पक्षी अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 100 मीटर तक के विस्तारित क्षेत्र को लाख बहोसी पक्षी अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसके विवरण निम्नानुसार है, अर्थात्:-

1. पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं.- (1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार उत्तर प्रदेश राज्य कन्नौज जिला में लाख बहोसी पक्षी अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 100 मीटर के साथ 26° 56' 35.76" उ अक्षांश 79° 37' 3.79" पू देशांतर और 26° 54' 40.85" उ अक्षांश 79° 38' 28.5" पू देशांतर के बीच फैला हुआ है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्रफल **3.23 वर्ग किलोमीटर** है।

- (2) पारिस्थितिकी संवेदी जोन और लाख बहोसी पक्षी अभयारण्य की सीमा की सीमा का विवरण **उपाबंध-I** के रूप में उपाबद्ध है।
- (3) सीमा विवरण और अक्षांश और देशांतर के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लाख बहोसी पक्षी अभयारण्य के मानचित्र **उपाबंध-IIक** और **उपाबंध-IIख** के रूप में उपाबद्ध है।
- (4) लाख बहोसी पक्षी अभयारण्य और पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा के भू-निर्देशांकों की सूची **उपाबंध III** के सारणी **क** और सारणी **ख** में दी गई है।
- (5) मुख्य बिंदुओं के भू-निर्देशांकों के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची **उपाबंध-IV** के रूप में उपाबद्ध है।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना - (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

- (2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना ऐसी रीति से जो इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए गए हैं के अनुसार तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरूप और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी।
- (3) आंचलिक महायोजना, उक्त योजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय बातों को समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:--
 - (i) पर्यावरण;
 - (ii) वन और वन्यजीव;
 - (iii) शहरी विकास;
 - (iv) पर्यटन;
 - (v) नगर;
 - (vi) राजस्व;
 - (vii) कृषि;
 - (viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;
 - (ix) पंचायती राज;
 - (x) लोक निर्माण विभाग; और
 - (xi) उत्तर प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
- (4) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो और आंचलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में जो अधिक दक्षता और पारिस्थितिकी अनुकूल हों का संवर्धन करेगी।
- (5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे।
- (6) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बस्तियों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोउद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यर्कन करेगी। इस योजना के मानचित्र के साथ विद्यमान और प्रस्तावित भूमि उपयोग विशेषताओं का विवरण अनुसमर्थित होगा।
- (7) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगी और सारणी में सूचीबद्ध पैराग्राफ-4 में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों का अनुपालन करेगी और स्थानीय समुदायों के पारिस्थितिकी अनुकूल विकास के लिए जीवकोपार्जन को सुरक्षित करने के लिए सुनिश्चित किया जा सकेगा।
- (8) आंचलिक महायोजना प्रादेशिक विकास योजना की सह विस्तारी होगी।
- (9) इस प्रकार अनुमोदित आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार मानीटरी के अपने कार्यों को करने के लिए मानीटर समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज तैयार करेगी।

3. राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.- राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:-

- (1) **भू-उपयोग-** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, बागवानी क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक या आवासीय या औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा।

परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क), में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और यथा लागू और क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम और केन्द्रीय/राज्य सरकार के अन्य नियमों तथा विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, और इस अधिसूचना के उपबंधों द्वारा स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, जैसे:-

- (i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण;
- (ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;
- (iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;
- (iv) कुटीर उद्योगों जिनके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग भी हैं; सुविधाजनक भण्डार और स्थानीय सुविधाएं सहायक हैं जिसमें पारिस्थितिकी पर्यटन में ग्रह वास सम्मिलित है; और
- (v) पैराग्राफ 4 के अंतर्गत दिया गया संवर्धित क्रियाकलाप है:

परंतु यह और कि राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 और तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंज्ञात कोई वृष्टि, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त वृष्टि के संशोधन की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी:

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त वृष्टि के संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा।

(ख) वनीकरण तथा वास जीर्णोद्धार क्रियाकलापों सहित अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुनः वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे।

- (2) **प्राकृतिक जल स्रोतों-** आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों के आवाह क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और नवीकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के बारे में जो ऐसे क्षेत्रों के लिए अहितकर हो ऐसी रीति से मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार किए जाएंगे।

- (3) **पर्यटन या पारिस्थितिकी पर्यटन-** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए होगा;

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना राज्य पर्यटन विभाग द्वारा राज्य पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से तैयार होगी।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना के एक घटक के रूप में होगी।

(घ) पर्यटन महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन की वहन क्षमता के आधार पर तैयार की जाएगी।

(ङ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित किए जाएंगे, अर्थात्:-

- (i) लाख बहोसी पक्षी अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नये वाणिज्यिक होटल और रिसोर्टों के सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं होंगे:

परंतु, यह कि उक्त अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक होटल और रिजॉर्ट का स्थापना केवल पूर्व परिभाषित और नामनिर्दिष्ट क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए ही अनुज्ञात होगा;

- (ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मार्गदर्शक सिद्धांतों द्वारा जारी और राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिकी-पर्यटन, पारिस्थितिकी-शिक्षा और पारिस्थितिकी-विकास पर बल देते हुए (समय-समय पर यथा संशोधित) जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार होगा;
- (iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा और मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंदर किसी नये होटल या रिसोर्ट या वाणिज्यिक स्थापन का संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जायेगा।
- (4) **नैसर्गिक विरासत.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और विरासत संरक्षण योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में परिरक्षण और संरक्षण के लिए तैयार की जाएगी।
- (5) **मानव निर्मित विरासत स्थल.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, स्थापत्य, सौंदर्यपूरक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की और उपक्षेत्रों पहचान और उनके संरक्षण के लिए विरासत योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में तैयार की जाएगी।
- (6) **ध्वनि प्रदूषण.-** पर्यावरण अधिनियम के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 में नियत उपबंधों के अनुसार में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण और निवारण का अनुपालन किया जाएगा।
- (7) **वायु प्रदूषण.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण का वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार अनुपालन किया जाएगा।
- (8) **बहिष्काव का निस्सारण.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिष्काव का निस्सारण, साधारणों मानकों के उपबंधों के अनुसार पर्यावरणीय अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण के लिए साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, जो भी अधिक कठोर हो, के उपबंधों के अनुसार होगा।
- (9) **ठोस अपशिष्ट.-** ठोस अपशिष्ट का निपटान एवं प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-
- (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 के द्वारा प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा। अकार्बनिक पदार्थों का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा।
- (ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन (ईएसएम) अनुज्ञात किया जा सकेगा।
- (10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट.-** जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-
- (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।
- (ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जा सकेगा।

- (11) **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।
- (12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.सां.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।
- (13) **ई-अपशिष्ट.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई-अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित द्वारा प्रकाशित ई-अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।
- (14) **यानीय यातायात.-** यातायात की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध सम्मिलित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति सुसंगत अधिनियमों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय क्रियाकलापों के अनुपालन को मानीटर करेगी।
- (15) **यानीय प्रदूषण.-** लागू विधियों के अनुपालन में वाहन प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण किया जाएगा। स्वच्छक ईंधन के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे।
- (16) **औद्योगिक ईकाइयां.-** (i) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर या उसके पश्चात पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर कोई नए प्रदूषित उद्योगों की स्थापना की अनुमति नहीं दी जाएगी।
(ii) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार, जब तक कि अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो; पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त, गैर प्रदूषणकारी उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।
- (17) **पहाड़ी ढलानों को संरक्षण.-** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार होगा:-
(क) आंचलिक महायोजना पहाड़ी ढलानों पर क्षेत्रों का संकेत होगा जहां किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी;
(ख) कटाव के एक उच्च डिग्री के साथ विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या ढलानों पर किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों जिसके अन्तर्गत तटीय विनियमन जोन अधिसूचना 2011 और पर्यावरणीय समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 और अन्य लागू विधियां के जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) सम्मिलित हैं और किये गये संशोधनों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :-

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	विवरण
(1)	(2)	(3)
क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप		
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाईयां।	(क) वास्तविक सदभावी स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें निजी उपयोग के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना और मकान बनाने और व्यक्तिगत उपभोग के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का निर्माण करना भी सम्मिलित है, के सिवाय सभी प्रकार

		के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानों और उनको तोड़ने की इकाइयां तत्काल प्रभाव से प्रतिषिद्ध होंगी; (ख) खनन प्रचालन, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरूमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के आदेश के अनुसरण में प्रचालित होंगी।
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि आदि) उत्पन्न करने वाले उद्योगों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई नया उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुज्ञा नहीं होगी: परन्तु यह कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी मार्ग दर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार जब तक कि अधिसूचना में ऐसा विनिर्दिष्ट न हों, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।
3.	वृहत जल विद्युत परियोजना की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन या प्रसंस्करण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या क्षेत्र भूमि में अनुपचारित बहिर्वाह का निस्तारण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
7.	ईट भट्टों की स्थापना करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
8.	पोलिथीन बैगों का उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
ख. विनियमित क्रियाकलाप		
9.	वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टों की स्थापना।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों लघु अस्थायी संरचनाओं के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नए वाणिज्यिक होटल और रिसोर्टों को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परन्तु यह कि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के परे या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक इनमें से जो भी निकट हो सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलाप का विस्तार पर्यटन महायोजना और यथा लागू मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुरूप होगा।
10.	संनिर्माण क्रियाकलाप।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार के नये वाणिज्यिक संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी: परन्तु यह कि स्थानीय लोगों को अपनी आवास सम्बन्धी निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने प्रयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उप-विधियों के अनुसार, संनिर्माण करने की अनुज्ञा होगी, जैसे:- परन्तु यह कि गैर-प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे।

		(ख) एक किलोमीटर क्षेत्र से परे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे।
11.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों में वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकटमय में, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्री से उत्पादों को उत्पन्न करने वाले कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
12.	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में वृक्षों की कटाई नहीं होगी। (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होंगे।
13.	वन उत्पादों या गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
14.	विद्युत और संचार टावरों का परिनिर्माण और केबलों के बिछाए जाने और अन्य बुनियादी ढांचे।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे। (भूमिगत केबल के बिछाए जाने को बढ़ावा दिया जाएगा)।
15.	नागरिक सुख सुविधाओं सहित अवसंरचनाएं।	न्यूनीकरण उपायों को लागू विधियों, नियमों और विनियमनों और उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया जाना।
16.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नवीन सड़कों का संनिर्माण।	न्यूनीकरण उपायों को लागू विधियों, नियमों और विनियमनों और उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया जाना।
17.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारे, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइटस आदि द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
18.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
19.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे।
20.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ दुग्धशाला, दुग्ध उद्योग, कृषि और मछली पालन।	स्थानीय लोगों के उपयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे।
21.	फर्मों, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुओं और पोल्ट्री फार्मों की स्थापना।	स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लागू विधियों के अधीन विनियमित (अन्यथा प्रदान किए गए) होंगे।
22.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्वाह का निस्तारण।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल या बहिर्वाह के निस्तारण से बचा जाएगा और उपचारित अपशिष्ट जल के पुनःचक्रण और पुनःउपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे। अन्यथा लागू विधियों के अनुसार उपचारित बहिर्वाह के पुनर्चक्रण/प्रवाह के निर्वहन को विनियमित किया जाएगा।
23.	सतह और भूजल का वाणिज्यिक निष्कर्षण।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
24.	खुले कुआ, बोर कुआ, आदि कृषि और अन्य उपयोग के लिए।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे और सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा क्रियाकलापों की सख्ती से निगरानी की जाएगी।
25.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
26.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।

27.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
28.	वाणिज्यिक साइन बोर्ड और होर्डिंग्स का प्रयोग।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
ग.संबन्धित क्रियाकलाप		
29.	वर्षा जल संचयन।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
30.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
31.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
32.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर भी हैं।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
33.	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत और ईंधन का उपयोग।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाना है।
34.	कृषि वानिकी।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
35.	बागान लगाना और जड़ी बूटियों का रोपण।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
36.	पर्यावरण अनुकूल परिवहन का प्रयोग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
37.	कौशल विकास।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
38.	निम्नीकृत भूमि या वन या प्राकृतिक वास का जीर्णोद्धार।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
39.	पर्यावरणीय जागरूकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

5. मानीटरी समिति- केंद्रीय सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों की प्रभावी मानीटरी के लिए मानीटरी समिति का गठन करती है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी अर्थात्:-

क्र.सं.	मानीटरी समिति का संविधान	पद
(i)	जिला मजिस्ट्रेट, कन्नौज	अध्यक्ष, पदेन;
(ii)	पुलिस अधीक्षक या वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, कन्नौज	सदस्य;
(iii)	राज्य सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले गैर-सरकारी संगठन का प्रतिनिधि	सदस्य;
(iv)	राज्य सरकार द्वारा नामित जैव विविधता में एक विशेषज्ञ	सदस्य;
(v)	राज्य के प्रतिष्ठित संस्थान या विश्वविद्यालय से पारिस्थितिकी में एक विशेषज्ञ	सदस्य;
(vi)	लोक निर्माण विभाग, कन्नौज के कार्यकारी अभियंता	सदस्य;
(vii)	सिंचाई विभाग, कन्नौज के कार्यकारी अभियंता	सदस्य;
(viii)	जिला कृषि अधिकारी, कन्नौज	सदस्य;
(ix)	क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिला कन्नौज	सदस्य;
(x)	वन्यजीव वार्डन, लुमप्राय प्रजातियां, उत्तर प्रदेश, लखनऊ	सदस्य;
(xi)	प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग, कन्नौज	सदस्य सचिव।

6. निर्देश-निबंधन:- (1) मानीटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

- (2) मानीटरी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष तक या राज्य सरकार द्वारा नई समिति के पुनः गठन तक के लिए होगा और तत्पश्चात में मानीटरी समिति राज्य सरकार द्वारा गठित की जाएगी।
- (3) उन क्रियाकलापों की, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित हैं, और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, सिवाय इसके पैराग्राफ 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिसिद्ध क्रियाकलापों की, वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के

आधार पर मानीटरी समिति द्वारा संविक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट किया जाएगा।

- (4) उन क्रियाकलापों का जिन्हे भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ.1533 (अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, सिवाय इसके पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।
- (5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण अधिनियम, की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।
- (6) मानीटरी समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।
- (7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक के अपने क्रियाकलापों की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को उपाबंध V में संलग्न प्रोफार्मा में उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।
- (8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निर्देश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे।

7. अतिरिक्त उपाय:- इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगे।

8. सुप्रीम कोर्ट, आदि के आदेश:- इस अधिसूचना के उपबंध, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन होंगे।

[फा. सं. 25/164/2015-ईएसजेड-आरई]

डॉ. सतीश चन्द्र गढ़कोटी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध- I

उत्तर प्रदेश राज्य में लाख बहोसी पक्षी अभयारण्य और पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण

उत्तर-

1. ग्राम मधपुरा- कृषि भूमि

दक्षिण-

1. ग्राम रामनगर- कृषि भूमि

पूर्व-


1. ग्राम शिव सेवक का पुरवा- कृषि भूमि और सार्वजनिक क्षेत्र

पश्चिम-

1. ग्राम हसेरन- कृषि भूमि

उपाबंध- II ख

मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ लाख बहोसी पक्षी अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र



उपाबंध-III

सारणी क: लाख बहोसी पक्षी अभयारण्य के मुख्य अवस्थानों के भू-निर्देशांक

क्र.सं.	बिंदु	अक्षांश	देशांतर
1.	1)	26°53'48.24"उ	79°36'29.76"पू
2.	2)	26°53'33.24"उ	79°36'58.26"पू
3.	3)	26°53'21.3"उ	79°37'15.66"पू
4.	4)	26°53'13.56"उ	79°37'21.6"पू
5.	5)	26°53'6.66"उ	79°37'27.84"पू
6.	6)	26°53'5.04"उ	79°37'32.52"पू
7.	7)	26°53'4.92"उ	79°37'38.64"पू
8.	8)	26°53'14.28"उ	79°37'41.82"पू

9.	9)	26°53'21.48"उ	79°37'56.76"पू
10.	10)	26°53'33.36"उ	79°38'8.22"पू
11.	11)	26°53'33.36"उ	79°38'14.7"पू
12.	12)	26°53'33"उ	79°38'20.88"पू
13.	13)	26°53'34.26"उ	79°38'27.12"पू
14.	14)	26°53'33.6"उ	79°38'42"पू
15.	15)	26°53'39.72"उ	79°38'46.2"पू
16.	16)	26°53'32.58"उ	79°39'6.6"पू
17.	17)	26°53'29.46"उ	79°39'16.32"पू
18.	18)	26°53'25.14"उ	79°39'26.1"पू
19.	19)	26°53'21.3"उ	79°39'37.92"पू
20.	20)	26°53'20.88"उ	79°39'49.92"पू
21.	21)	26°53'26.7"उ	79°39'54.6"पू
22.	22)	26°53'32.58"उ	79°40'3.3"पू
23.	23)	26°53'36.24"उ	79°40'3.3"पू
24.	24)	26°53'38.04"उ	79°40'9.06"पू
25.	25)	26°53'57.66"उ	79°40'12.42"पू
26.	26)	26°54'24.48"उ	79°40'6.18"पू
27.	27)	26°54'35.28"उ	79°40'2.64"पू
28.	28)	26°55'6.3"उ	79°39'34.86"पू
29.	29)	26°55'18.6"उ	79°39'41.58"पू
30.	30)	26°55'53.16"उ	79°39'55.38"पू
31.	31)	26°55'44.22"उ	79°40'4.86"पू
32.	32)	26°55'47.28"उ	79°40'13.62"पू
33.	33)	26°55'48.96"उ	79°40'16.38"पू
34.	34)	26°55'51.84"उ	79°40'29.56"पू
35.	35)	26°55'58.68"उ	79°40'23.82"पू
36.	36)	26°56'11.76"उ	79°40'17.94"पू
37.	37)	26°56'17.16"उ	79°40'13.38"पू
38.	38)	26°55'29.46"उ	79°40'5.7"पू
39.	39)	26°56'35.46"उ	79°39'45.9"पू
40.	40)	26°56'41.88"उ	79°39'25.14"पू
41.	41)	26°56'45.96"उ	79°39'10.56"पू
42.	42)	26°57'3.36"उ	79°39'40.2"पू
43.	43)	26°56'59.46"उ	79°38'25.62"पू

44.	44)	26°56'46.14"उ	79°38'11.16"पू
45.	45)	26°57'1.38"उ	79°37'34.44"पू
46.	46)	26°57'7.92"उ	79°37'5.4"पू
47.	47)	26°57'8.52"उ	79°37'1.38"पू
48.	48)	26°57'8.34"उ	79°36'54.72"पू
49.	49)	26°57'11.7"उ	79°36'48.42"पू
50.	50)	26°57'8.4"उ	79°36'47.28"पू
51.	51)	26°57'12.96"उ	79°36'39.66"पू
52.	52)	26°57'15.78"उ	79°36'36.36"पू
53.	53)	26°57'13.56"उ	79°36'31.86"पू
54.	54)	26°57'9.54"उ	79°36'27.06"पू
55.	55)	26°57'5.76"उ	79°36'20.76"पू
56.	56)	26°56'58.2"उ	79°36'8.52"पू
57.	57)	26°57'2.04"उ	79°36'3.42"पू
58.	58)	26°56'38.04"उ	79°35'57"पू
59.	59)	26°56'24.66"उ	79°35'49.14"पू
60.	60)	26°56'0.9"उ	79°35'37.38"पू
61.	61)	26°56'38.34"उ	79°35'28.14"पू
62.	62)	26°56'54.78"उ	79°35'21.9"पू
63.	63)	26°56'24.9"उ	79°35'22.5"पू
64.	64)	26°56'18.84"उ	79°35'17.7"पू
65.	65)	26°56'5.94"उ	79°35'3.9"पू
66.	66)	26°54'54.06"उ	79°34'59.04"पू
67.	67)	26°54'47.64"उ	79°34'44.34"पू
68.	68)	26°54'42.3"उ	79°34'37.38"पू
69.	69)	26°54'41.7"उ	79°34'34.62"पू
70.	70)	26°54'30.84"उ	79°34'39.48"पू
71.	71)	26°54'21.48"उ	79°35'20.76"पू
72.	72)	26°54'6.84"उ	79°35'39.06"पू
73.	73)	26°53'55.74"उ	79°35'59.46"पू
74.	74)	26°54'0.54"उ	79°36'15.18"पू
75.	75)	26°53'57.78"उ	79°36'34.38"पू
76.	76)	26°53'59.7"उ	79°36'52.56"पू
77.	77)	26°53'59.7"उ	79°36'48.72"पू

सारणी ख: पारिस्थितिकी संवेदी जोन के मुख्य अवस्थानों के भू-निर्देशांक

अवस्थान	अक्षांश	देशांतर
ए	26°57' 5.234" उ	79°36' 2.750" पू
बी	26°57' 19.019" उ	79°36' 36.064" पू
सी	26°57' 11.886" उ	79°36' 52.037" पू
डी	26°57' 2.985" उ	79°37' 48.445" पू
ई	26°56' 50.304" उ	79°38' 10.621" पू
एफ	26°57' 6.527" उ	79°38' 41.010" पू
जी	26°56' 48.933" उ	79°39' 12.103" पू
एच	26°56' 38.068" उ	79°39' 48.062" पू
आई	26°55' 58.475" उ	79°40' 27.438" पू
जे	26°55' 41.051" उ	79°40' 4.085" पू
के	26°55' 27.581" उ	79°40' 8.150" पू
एल	26°55' 6.725" उ	79°39' 39.128" पू
एम	26°54' 29.120" उ	79°40' 8.437" पू
एन	26°53' 33.931" उ	79°40' 6.924" पू
ओ	26°53' 17.796" उ	79°39' 51.062" पू
पी	26°53' 25.169" उ	79°39' 17.833" पू
क्यू	26°53' 35.706" उ	79°38' 47.701" पू
आर	26°53' 30.110" उ	79°38' 9.877" पू
एस	26°53' 12.327" उ	79°37' 45.422" पू
टी	26°53' 19.033" उ	79°37' 13.001" पू
यू	26°53' 54.538" उ	79°36' 34.637" पू
वी	26°53' 57.204" उ	79°36' 15.496" पू
डब्ल्यू	26°53' 52.483" उ	79°35' 58.919" पू
एक्स	26°54' 18.525" उ	79°35' 19.010" पू
वाई	26°54' 28.140" उ	79°34' 37.463" पू
जेड	26°54' 42.935" उ	79°34' 31.267" पू
जेड1	26°54' 56.408" उ	79°34' 56.140" पू
जेड2	26°55' 19.268" उ	79°35' 13.136" पू

जेड3	26°55' 38.395" उ	79°35' 24.290" पू
जेड4	26°55' 55.955" उ	79°35' 18.520" पू
जेड5	26°56' 3.366" उ	79°35' 34.634" पू
जेड6	26°56' 39.194" उ	79°35' 53.580" पू

उपाबंध-IV**भू-निर्देशांक के साथ लाख बहोसी पक्षी अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची**

क्र.सं.	ग्राम	अक्षांश	देशांतर
1	लाख	उ26°56'21.56"	पू 79°37'11.40"
2	बहोसी	उ 26°54'28.35"	पू 79°38'34.56"
3	बरोली	उ26°54'54.25"	पू79°35'20.24"
4	बरीयामाऊ	उ 26°55'35.75"	पू 79°39'01.10"
5	पुराराई	उ 26°56'32.36"	पू79°39'35.83"

उपाबंध V**की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान:**

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत्त: (कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का उल्लेख करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक उपाबंध में उपाबद्ध करें) ।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना भी है।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश (पारिस्थितिकी संवेदी जोन वार) । ब्यौरे उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाले क्रियाकलापों की संवीक्षा के मामलों का सारांश (ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं)।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संवीक्षा के मामलों का सारांश । (ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं)।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE**NOTIFICATION**

New Delhi, the 29th August, 2019

S.O. 3152(E).—WHEREAS, a draft re-notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number

S.O. 6034(E), dated the 30th November, 2018, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, copies of the Gazette containing the said draft notification were made available to the public on the 5th December, 2018;

AND WHEREAS, no objections and suggestions were received from persons and stakeholders in response to the aforesaid draft notification;

AND WHEREAS, Lakh Bahosi Bird Sanctuary is located about 38 kilometers from the district headquarter of Kannauj in the State of Uttar Pradesh and is spread over an area of 80.23 square kilometers comprising of forest land, Gram Samaj land, private land and other Government land, and there are two water bodies in the said Sanctuary, namely, Lakh and Bahosi, situated about 6 kilometers apart;

AND WHEREAS, the aforesaid Sanctuary is known for habitats of large varieties of migratory and resident birds and the faunal species that have a habitat here are ground shrew (*Suncus murnius*), jungle cat (*Felis chaus*), fishing cat (*Prionailurus viverrinus*), fox (*Vulpes bengalensis*), common yellow bat (*Scotophilus heathii*), noctule bat (*Nyctalus noctula*), three striped palm squirrel (*Funambulus palmarum*), blue bull (*Boselaphus tragocamelus*), cyclop (*Cyclops sp.*), cypris (*Curpsi sp.*), praying-mantis (*Mantis sp.*), gnat (*Simulium equinum*), water scorpion (*Panorpa cummunis*), dung beetle (*Meliocoxpris sp.*), large carpenter (*Megachile centuncularis*), lesser zebra (*P Macareus indicus*), veined jay (*Graphium bathycles chiron*), classy tiger (*Parantica aglea melanoides*), tiger brown (*Orinomadamaris*), panther (*Neurosioma doubledayi doubledayi*), slug (*Lomax sp.*), Indian shag (*Phalacrocorax fuscicollis*), purple heron (*Ardea purpurea*), little bittern (*Ixobrychus minutus*), black ibis (*Plegadis falcinellus*), spotted billed duck (*Anas poecilorhyncha*), Eurasiaon wigeon (*Abas penelope*), crested goshawk (*Accipiter trivirgatus*), black francolin (*Francolinus francolinus*), water rail (*Rallus aquaticus*), little ringed plover (*Charadrius dubius*), wood snipe (*Gallinago nemoricola*), river tern (*Sterna aurantia*), greater coucal (*Centropus sinensis*), Asian palm swift (*Cypsiurus balasiensis*), green bee-eater (*Merops orientalis*), hoopoe (*Upupa epops*), long tailed shrike (*Lanius schach*), bar winged flycatcher shrike (*Hemipus picatus*), green munia (*Amandava Formosa*), Olive backed pipit (*Anthus rufulus*), Striated babbler (*Turdoides earlei*), thick billed flower pecker (*Dicaeum agile*), baya weaver (*Ploceus phillippinus*), mallard (*Anas platyrhyncha*), white rumped shampa (*Copsychus saularis*), etc;

AND WHEREAS, Lakh Bahosi Bird Sanctuary also represents diversity in floral species including Australian acacia (*Acacia auriculiformis*), jangal jalebi (*Pithecellobium dulce*), yellow cassia (*Cassia siamea*), persign (*Melia Azadarach*), khabar (*Ficus infectoria*), red cotton tree (*Mombax ceiba*), pelftoforum (*Pelftoforum ferruginae*), sissou (*Dalbergia sissou*), bringtonia (*Barringtonia acutangula*), jacaranda (*Jacaranda ovalifolia*), madhuca (*Madhuca indica*), Emblica (*Phyllanthus emblica*), Vasaka (*Ashotoda vasica*), Panwar (*Cassiatora*), calotropic (*Calotropis procera*), kantkari (*Solanum xanthocarpum*), cockle bur (*Xanthium strumarium*), luffa (*Luffa acutangula*), neptunia (*Mymosepudica*), paspalum (*Paspalum distichum*), bird's coriander (*Mollingo cerviaha*), gokhru (*Tribulus terrestris*), rorripa (*Nasturtium indicum*), chirchitty (*Salsola baryosma*), makhi (*Phyllanthus reticulatus*), salvinia (*Salvinia molesta*), spirodela (*Spirodela polyrhiza*), jussiaea (*Jussiaea repens*), bilaiti aak (*Ipomea cornea*), sesbania (*Sesbania aculeate*), scirpus (*Scirpus roylei*), etc;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of which are specified in paragraph 1, around the protected area of Lakh Bahosi Bird Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) (hereafter in this notification referred to as the Environment Act) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent of 100 metres uniform around the boundary of Lakh Bahosi Bird Sanctuary, in Kannauj District in the State of Uttar Pradesh as the Lakh Bahosi Bird Sanctuary Eco-sensitive Zone (hereafter in this notification referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely: -

1. **Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.** - (1) The Eco-sensitive Zone shall be to an extent of 100 metres uniform around the boundary of Lakh Bahosi Bird Sanctuary between 26^o 56" 35.76" N Latitude 79^o 37" 3.79" E Longitude and 26^o 54" 40.85" N Latitude 79^o 38" 28.5" E Longitude in the Kannauj District of the State of Uttar Pradesh and the area of the Eco-sensitive Zone is **3.23 square kilometres**.
- (2) The boundary description of Lakh Bahosi Bird Sanctuary and its Eco-sensitive Zone is appended in **Annexure-I**.
- (3) The maps of the Lakh Bahosi Bird Sanctuary demarcating Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes are appended as **Annexure-IIA** and **Annexure-IIB**.

- (4) List of geo-coordinates of the boundary of Lakh Bahosi Bird Sanctuary and Eco-sensitive Zone are given in Table A and Table B of **Annexure-III**.
- (5) The list of villages falling in the Eco-sensitive Zone along with their geo co-ordinates at prominent points is appended as **Annexure-IV**.

2. Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.- (1) The State Government shall, for the purposes of the Eco-sensitive Zone prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the competent authority in the State.

- (2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.
- (3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Departments of the State Government, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:-
 - (i) Environment;
 - (ii) Forest and Wildlife;
 - (iii) Urban Development;
 - (iv) Tourism;
 - (v) Municipal;
 - (vi) Revenue;
 - (vii) Agriculture;
 - (viii) Irrigation and Flood Control;
 - (ix) Panchayati Raj;
 - (x) Public Works Department; and
 - (xi) Uttar Pradesh State Pollution Control Board.
- (4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.
- (5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.
- (6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps giving details of existing and proposed land use features.
- (7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited and regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for security of local communities' livelihood.
- (8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.
- (9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. Measures to be taken by State Government.- The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

- (1) **Land use.-** (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that specified at clause (a) above, within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town

Planning Act and other rules and regulations of Central Government or State Government as applicable and *vide* provisions of this notification, to meet the residential needs of the local residents and for activities such as-

- (i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
- (ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
- (iii) small scale industries not causing pollution;
- (iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and
- (v) promoted activities given in paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

- (b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.
- (2) **Natural water bodies.**-The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.
 - (3) **Tourism or eco-tourism.**- (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.
 - (b) The Tourism Master Plan shall be prepared by the State Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.
 - (c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.
 - (d) The Tourism Master Plan shall be drawn based on the study of carrying capacity of the Eco-sensitive Zone.
 - (e) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-
 - (i) new construction of hotels and resorts shall not be allowed within one kilometre from the boundary of the Lakh Bahosi Bird Sanctuary or up to the extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer:

Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the said Sanctuary till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;
 - (ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development.
 - (iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel, resort or commercial establishment construction shall be permitted within Eco-sensitive Zone area.
 - (4) **Natural heritage.**- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc.

shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

- (5) **Man-made heritage sites.-** Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part of the Zonal Master Plan.
- (6) **Noise pollution. -** Prevention and control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment Act.
- (7) **Air pollution.-** Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.
- (8) **Discharge of effluents.-** Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environment Act and the rules made thereunder or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.
- (9) **Solid wastes.-** Disposal and management of solid wastes shall be as under:-
 - (a) the solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;
 - (b) safe and Environmentally Sound Management (ESM) of solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-sensitive Zone.
- (10) **Bio-Medical Waste.-** Bio medical waste management shall be as under:-
 - (a) the bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management, Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R 343 (E), dated the 28th March, 2016.
 - (b) safe and Environmentally Sound Management of bio-medical wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-sensitive Zone.
- (11) **Plastic waste management.-** The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.
- (12) **Construction and demolition waste management.-** The construction and demolition waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.
- (13) **E-waste.-** The e - waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as amended from time to time.
- (14) **Vehicular traffic.-** The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the competent authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.
- (15) **Vehicular pollution.-** Prevention and control of vehicular pollution shall be in compliance with applicable laws and efforts shall be made for use of cleaner fuels.
- (16) **Industrial units.-** (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-sensitive Zone.
 - (ii) Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per the classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless

so specified in this notification, and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) **Protection of hill slopes.**- The protection of hill slopes shall be as under:-

- (a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;
- (b) construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall not be permitted.

4. List of activities prohibited or to be regulated within Eco-sensitive Zone.- All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment Act and the rules made thereunder including the Coastal Regulation Zone, 2011 and the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:—

TABLE

S. No.	Activity	Description
(1)	(2)	(3)
A. Prohibited Activities		
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for other activities; (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4 th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated the 21 st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	New industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall not be permitted: Provided that non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless otherwise specified in this notification and in addition the non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major hydro-electric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
6.	Setting up of new saw mills.	New or expansion of existing saw mills shall not be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
8.	Use of polythene bags.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.

B. Regulated Activities		
9.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for eco-tourism activities: Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
10.	Construction activities.	(a) New commercial construction of any kind shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the protected area or upto extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities mentioned in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building bye-laws to meet the residential needs of the local residents: Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (b) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
11.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
12.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the Competent Authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
13.	Collection of Forest Produce or Non-Timber Forest Produce.	Regulated as per the applicable laws.
14.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws (underground cabling may be promoted).
15.	Infrastructure including civic amenities.	Shall be done by taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules, regulations and available guidelines.
16.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done by taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules, regulations and available guidelines.
17.	Undertaking other activities related to tourism like flying over the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, microlites, etc.	Regulated as per the applicable laws.
18.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated as per the applicable laws.
19.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.

20.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted as per the applicable laws for use of locals.
21.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporates and companies.	Regulated (except otherwise provided) as per the applicable laws except for meeting local needs.
22.	Discharge of treated waste water or effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water or effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made for recycle and reuse of treated waste water, and otherwise the discharge of treated waste water or effluent shall be regulated as per the applicable laws.
23.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated as per the applicable laws.
24.	Open well, bore well, etc. for agriculture or other usage	Regulated as per applicable laws and the activity should be strictly monitored by the concerned authority.
25.	Solid waste management.	Regulated as per the applicable laws.
26.	Introduction of exotic species.	Regulated as per the applicable laws.
27.	Eco-tourism.	Regulated as per the applicable laws.
28.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated as per the applicable laws.
C. Promoted Activities		
29.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
30.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
31.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
32.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
33.	Use of renewable energy and fuels.	Bio-gas, solar light, etc. shall be actively promoted.
34.	Agro-forestry.	Shall be actively promoted.
35.	Plantation of horticulture and herbals.	Shall be actively promoted.
36.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
37.	Skill development.	Shall be actively promoted.
38.	Restoration of degraded land/ forests/ habitat.	Shall be actively promoted.
39.	Environmental awareness.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee.- For effective monitoring of the provisions of this notification, the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, comprising of the following, namely:-

S. No.	Constituent of Monitoring Committee	Designation
(i)	District Magistrate, Kannauj	Chairman, ex officio
(ii)	Superintendent of Police or Senior Superintendent of Police, Kannauj	Member;
(iii)	A representative of Non-Governmental Organisation working in the field of wildlife conservation to be nominated by the State Government	Member;
(iv)	An expert in Biodiversity nominated by the State Government	Member;
(v)	One expert in Ecology from reputed institution or university of the State	Member;
(vi)	Executive Engineer of Public Work Department, Kannauj	Member;
(vii)	Executive Engineer of Irrigation Department, Kannauj	Member;
(viii)	District Agriculture Officer, Kannauj	Member;
(ix)	Regional Officer, Uttar Pradesh State Pollution Control Board, District Kannauj	Member;
(x)	Wildlife Warden, Endangered Species, Uttar Pradesh, Lucknow	Member;

(xi)	Divisional Forest Officer, Forest Division, Kannauj	Member-Secretary.
------	---	-------------------

6. Terms of reference. – (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

- (2) The tenure of the Monitoring Committee shall be for three years or till the re-constitution of the new Monitoring Committee by the State Government and subsequently the Monitoring Committee shall be constituted by the State Government.
- (3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.
- (4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.
- (5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment Act, against any person who contravenes the provisions of this notification.
- (6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.
- (7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per proforma appended at Annexure V.
- (8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. Additional measures:- The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. Supreme Court, etc. orders:- The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or a High Court or the National Green Tribunal.

[F.No. 25/164/2015-ESZ-RE]

Dr. SATISH C. GARKOTI, Scientist 'G'

ANNEXURE- I

BOUNDARY DESCRIPTION OF LAKH BAHOSI BIRD SANCTUARY AND ITS ECO-SENSITIVE ZONE IN THE STATE OF UTTAR PRADESH

North-

1. Village Madhpura- Agricultural land

South-

1. Village Ramnagar- Agricultural land

East-


1. Village Shiv Sevak ka purwa- Agricultural land and public area

West-

1. Village Haseran- Agricultural land

ANNEXURE- IIA


GOOGLE MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF LAKH BAHOSI BIRD SANCTUARY ALONG WITH
LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS



ANNEXURE- IIB

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF LAKH BAHOSI BIRD SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS

For Official use only



ANNEXURE-III

TABLE A: GEO- COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF LAKH BAHOSI BIRD SANCTUARY

S. No.	Point	Latitude	Longitude
1.	1)	26°53'48.24"N	79°36'29.76"E
2.	2)	26°53'33.24"N	79°36'58.26"E
3.	3)	26°53'21.3"N	79°37'15.66"E
4.	4)	26°53'13.56"N	79°37'21.6"E
5.	5)	26°53'6.66"N	79°37'27.84"E
6.	6)	26°53'5.04"N	79°37'32.52"E
7.	7)	26°53'4.92"N	79°37'38.64"E
8.	8)	26°53'14.28"N	79°37'41.82"E
9.	9)	26°53'21.48"N	79°37'56.76"E
10.	10)	26°53'33.36"N	79°38'8.22"E
11.	11)	26°53'33.36"N	79°38'14.7"E
12.	12)	26°53'33"N	79°38'20.88"E
13.	13)	26°53'34.26"N	79°38'27.12"E
14.	14)	26°53'33.6"N	79°38'42"E
15.	15)	26°53'39.72"N	79°38'46.2"E
16.	16)	26°53'32.58"N	79°39'6.6"E
17.	17)	26°53'29.46"N	79°39'16.32"E
18.	18)	26°53'25.14"N	79°39'26.1"E
19.	19)	26°53'21.3"N	79°39'37.92"E
20.	20)	26°53'20.88"N	79°39'49.92"E
21.	21)	26°53'26.7"N	79°39'54.6"E
22.	22)	26°53'32.58"N	79°40'3.3"E
23.	23)	26°53'36.24"N	79°40'3.3"E
24.	24)	26°53'38.04"N	79°40'9.06"E
25.	25)	26°53'57.66"N	79°40'12.42"E
26.	26)	26°54'24.48"N	79°40'6.18"E
27.	27)	26°54'35.28"N	79°40'2.64"E
28.	28)	26°55'6.3"N	79°39'34.86"E
29.	29)	26°55'18.6"N	79°39'41.58"E
30.	30)	26°55'53.16"N	79°39'55.38"E
31.	31)	26°55'44.22"N	79°40'4.86"E
32.	32)	26°55'47.28"N	79°40'13.62"E
33.	33)	26°55'48.96"N	79°40'16.38"E

34.	34)	26°55'51.84"N	79°40'29.56"E
35.	35)	26°55'58.68"N	79°40'23.82"E
36.	36)	26°56'11.76"N	79°40'17.94"E
37.	37)	26°56'17.16"N	79°40'13.38"E
38.	38)	26°55'29.46"N	79°40'5.7"E
39.	39)	26°56'35.46"N	79°39'45.9"E
40.	40)	26°56'41.88"N	79°39'25.14"E
41.	41)	26°56'45.96"N	79°39'10.56"E
42.	42)	26°57'3.36"N	79°39'40.2"E
43.	43)	26°56'59.46"N	79°38'25.62"E
44.	44)	26°56'46.14"N	79°38'11.16"E
45.	45)	26°57'1.38"N	79°37'34.44"E
46.	46)	26°57'7.92"N	79°37'5.4"E
47.	47)	26°57'8.52"N	79°37'1.38"E
48.	48)	26°57'8.34"N	79°36'54.72"E
49.	49)	26°57'11.7"N	79°36'48.42"E
50.	50)	26°57'8.4"N	79°36'47.28"E
51.	51)	26°57'12.96"N	79°36'39.66"E
52.	52)	26°57'15.78"N	79°36'36.36"E
53.	53)	26°57'13.56"N	79°36'31.86"E
54.	54)	26°57'9.54"N	79°36'27.06"E
55.	55)	26°57'5.76"N	79°36'20.76"E
56.	56)	26°56'58.2"N	79°36'8.52"E
57.	57)	26°57'2.04"N	79°36'3.42"E
58.	58)	26°56'38.04"N	79°35'57"E
59.	59)	26°56'24.66"N	79°35'49.14"E
60.	60)	26°56'0.9"N	79°35'37.38"E
61.	61)	26°56'38.34"N	79°35'28.14"E
62.	62)	26°56'54.78"N	79°35'21.9"E
63.	63)	26°56'24.9"N	79°35'22.5"E
64.	64)	26°56'18.84"N	79°35'17.7"E
65.	65)	26°56'5.94"N	79°35'3.9"E
66.	66)	26°54'54.06"N	79°34'59.04"E
67.	67)	26°54'47.64"N	79°34'44.34"E
68.	68)	26°54'42.3"N	79°34'37.38"E
69.	69)	26°54'41.7"N	79°34'34.62"E

70.	70)	26°54'30.84"N	79°34'39.48"E
71.	71)	26°54'21.48"N	79°35'20.76"E
72.	72)	26°54'6.84"N	79°35'39.06"E
73.	73)	26°53'55.74"N	79°35'59.46"E
74.	74)	26°54'0.54"N	79°36'15.18"E
75.	75)	26°53'57.78"N	79°36'34.38"E
76.	76)	26°53'59.7"N	79°36'52.56"E
77.	77)	26°53'59.7"N	79°36'48.72"E

TABLE B: GEO-COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF ECO-SENSITIVE ZONE

LOCATIONS	LATITUDE	LONGITUDE
A	26°57' 5.234" N	79°36' 2.750" E
B	26°57' 19.019" N	79°36' 36.064" E
C	26°57' 11.886" N	79°36' 52.037" E
D	26°57' 2.985" N	79°37' 48.445" E
E	26°56' 50.304" N	79°38' 10.621" E
F	26°57' 6.527" N	79°38' 41.010" E
G	26°56' 48.933" N	79°39' 12.103" E
H	26°56' 38.068" N	79°39' 48.062" E
I	26°55' 58.475" N	79°40' 27.438" E
J	26°55' 41.051" N	79°40' 4.085" E
K	26°55' 27.581" N	79°40' 8.150" E
L	26°55' 6.725" N	79°39' 39.128" E
M	26°54' 29.120" N	79°40' 8.437" E
N	26°53' 33.931" N	79°40' 6.924" E
O	26°53' 17.796" N	79°39' 51.062" E
P	26°53' 25.169" N	79°39' 17.833" E
Q	26°53' 35.706" N	79°38' 47.701" E
R	26°53' 30.110" N	79°38' 9.877" E
S	26°53' 12.327" N	79°37' 45.422" E
T	26°53' 19.033" N	79°37' 13.001" E
U	26°53' 54.538" N	79°36' 34.637" E
V	26°53' 57.204" N	79°36' 15.496" E
W	26°53' 52.483" N	79°35' 58.919" E
X	26°54' 18.525" N	79°35' 19.010" E
Y	26°54' 28.140" N	79°34' 37.463" E
Z	26°54' 42.935" N	79°34' 31.267" E
Z1	26°54' 56.408" N	79°34' 56.140" E
Z2	26°55' 19.268" N	79°35' 13.136" E

Z3	26°55' 38.395" N	79°35' 24.290" E
Z4	26°55' 55.955" N	79°35' 18.520" E
Z5	26°56' 3.366" N	79°35' 34.634" E
Z6	26°56' 39.194" N	79°35' 53.580" E

ANNEXURE-IV

**LIST OF VILLAGES COMING UNDER ECO-SENSITIVE ZONE OF LAKH BAHOSI BIRD SANCTUARY
ALONG WITH GEO-COORDINATES**

S. No.	Village	Latitude	Longitude
1	Lakh	N 26°56'21.56"	E 79°37'11.40"
2	Bahosi	N 26°54'28.35"	E 79°38'34.56"
3	Barauli	N 26°54'54.25"	E 79°35'20.24"
4	Bariyamau	N 26°55'35.75"	E 79°39'01.10"
5	Purarai	N 26°56'32.36"	E 79°39'35.83"

ANNEXURE -V**Performa of Action Taken Report:**

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: (mention noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure).
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt with rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.